संख्या-06/2019/एनजीओ-सी0पी0-133/84-2-2019-सीपी 16/2003

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान विभाग
7-वाला कदर रोड, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग लखनऊ: दिनांक- 09 अगस्त, 2019

विषयः-उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान राशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया उपभोक्ता संरक्षण एवं बाप माप अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2017/एनजीओ-65/84-2-2016-सी0पी0-16/2003 दिनांक 2 जनवरी 2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा 10 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशिरू0 1.00-1.00 लाख अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तद्नुक्रम में मैसर्स समग्र विकास सेवा समिति, 466/2, नई बस्ती, लखीमपुर खीरी (अध्यक्ष श्री अशोक सक्सेना) द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने एवं उसके उपयोग की पुष्टि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग/जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा किए जाने के लिए दृष्टिगत उक्त संस्था को द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- अत: अनुरोध है कि कृपया उक्त स्वैच्छिक संगठन को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 1.00 लाख शासनादेश संख्या-सीपी-1004/29-8-2004-सीपी-16/2003 दिनांक 13 अक्टूबर 2006 के साथ संलग्न मार्गदर्शन सिद्धान्त दिनांक 25 सितम्बर 2006 के प्रस्तर-7 की व्यवस्थानुसार 15 दिनों के भीतर अवमुक्त करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने कष्ट करें।

3- अनुदान की उक्त धनराशि का दुरूपयोग संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों/नीति में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही धनराशि व्यय/सुदपयोग किया जाएगा।

भवदीय,

ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-**06/2019/एनजीओ-सी0पी0-133(1)/84-2-2019-सीपी 16/2003**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
3 जिला पूर्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4 वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 गॉड फाइल।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

संख्या-**06/2019/एनजीओ-सी0पी0-133(2)/84-2-2019-सीपी 16/2003**

प्रतिलिपि श्री अशोक सक्सेना,अध्यक्ष, मैसर्स समग्र विकास सेवा समिति, 466/2, नई बस्ती, लखीमपुर खीरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की कृपया स्वीकृत धनराशि में से द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त हो जाने के 3 माह के भीतर शासनादेश संख्या-सीपी-776/84-2-2008-सीपी-16/2003 दिनांक 17 सितम्बर 2008 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर(4) में निर्धारित फांट के अनुसार धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रमाण सहित शपथ पत्र के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएं।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।